No. A – 35021/02/2019 – NTH Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Consumer Affairs (National Test House Division)

12/2, Jam Nagar House, New Delhi Dated the 15⁻¹ January 2024

Sub: - Filling up of the post of Administrative Officer in National Test House, Kolkata in Level – 11 (Rs. 67700 – 208700) of the pay matrix by Composite method (Deputation including short term contract) plus promotion basis.

The undersigned is directed to say that it has been decided to fill up the post of Administrative Officer, General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial, in the Level – 11 (Rs. 67700 – 208700) of the pay matrix in the National Test House, a subordinate Office under the Department of Consumer Affairs by Composite method (Deputation including short term contract) plus promotion basis from the:-

- I. Officers under the Central Government / State Government / Union Territories / Autonomous Bodies / Statutory Bodies / PSUs / Research Institutions / Universities:-
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or(ii) with 5 years' regular service in posts in the pay level 10 in the pay matrix Rs. 56100 177500; and
- (b) possessing the qualifications and experience prescribed as under;
 - (i) Degree of a recognised University or Institute; and
 - (ii) Five years' experience in accounts, administration and establishment work in a Govt. office or public sector undertakings or autonomous or statutory body.
- II. The Departmental Administrative Officer (Grade I) in the level 10 in the pay matrix Rs. 56100 177500 with 5 years' regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- III. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.
- IV. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of the application.
- V. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the

date from which the revised level in the pay matrix based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales pay into one grade with a common level in the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

The Place of posting is Kolkata.

- 2. It is requested that the applications in the enclosed Proforma (Appendix 1) from officers who are willing and fulfilling the above mentioned qualifications and experience and whose service can be spared immediately on his / her selection to the post, kindly be forwarded through proper channel to the Under Secretary, Department of Consumer Affairs, 12/2, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi 110011, in hard copy and also through email(pk.tyagi13@nic.in), within 60 (Sixty Days) from the date of issue of advertisement in the Employment News / Rozgar Samachar, along with attested copies of latest 5 years' Confidential Reports / APARs (each page attested by an officer not below the rank of Under Secretary), Vigilance Clearance, No Penalty Statement during last 10 years, Integrity Certificate and Cadre Clearance (as per Proforma enclosed). Incomplete application without above mentioned documents will not be entertained. Application received after the closing date will not be entertained / considered.
- 3. The candidates, in the event of their selection, will not be allowed to withdraw their candidature subsequently on any ground.

Encls: As above.

Yours faithfully,

(P. K. Tyagi) Under Secretary to the Govt. of India <u>Email.pk.tyagi13@nic.in</u>

Copy to:

- 1. All Ministries /Department to the Government of India
- 2. The Chief Secretaries of all State Government/Union Territories with the request to give wide circulation.
- 3. Director General, National Test House, CP Block, Sector V Salt Lake, Kolkata 700009, with the request to post on the NTH website also.
- 4. NIC, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi with the request to place this vacancy circular on the website http://consumeraffairs.nic.in for wide circulation.

(P. K. Tyagi) Under Secretary to the Govt. of India Email.pk.tyagi13@nic.in

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address	
(in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under	•
Central/State Government Rules	
4.Educational Qualifications	
5. Whether Educational and	
other qualifications required for	
the post are satisfied. (If any	
qualification has been treated	
as equivalent to the one	
prescribed in the Rules, state	4
the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as	Qualifications/ experience possessed by the officer
mentioned in the advertisement/ vacancy	experience possessed by the officer
circular	
Essential	Essential
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	Desirable
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	R) Evnerience
5.1 Note: This column needs to be amplified	to indicate Essential and D. 1.11 a. us.
mentioned in the kins by the Administrative Mini-	Stri/Denartment/Office at the time of including
The second of the control of the con	We
5.2 In the case of Degree and Post Graduate	Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary
The carried by the carringate.	
6. Please state clearly whether in the light of entri	es l'
made by you above, you meet the requisi	te
Essential Qualifications and work experience of the	ne
post.	1
5.1 Note: Possessian B	

6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as Indicated in the Biodata) with reference to the post applied.

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	То	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Duties (ir detail) highlighting experience
8					required for the post
	·				applied for
2 200					
important: Pay-bar	nd and Grade F	Pay granted u	dos ACDINA	1460	

*Important: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay , Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	То

8.Nature of present empl hoc or Temporary or Qu or Permanent	uasi-Permanent					
9.In case the present en held on deputation/conplease state-	ontract basis,					
a) The date of initial appointment	b) Period of on deputation,	appointment /contract ·	c) Name of office/organize which the belongs.		post and Pay	y of d In
9.1 Note: In case of Officers should be forwarded by the Vigilance Clearance and Inte 9.2 Note: Information under where a person is holding a still maintaining a lien in his	. <u>(84)1129</u> (10)					
						- 1

10. If any post he	ld on Deputation i	n the			
i wast by the app	licant, date of ro	******			
from the last d	leputation and o	ther			
cons.		- 1			1
					1
		- 1			1
11.Additional deta	ils about present	_			
employment:					
Please state whether	er working under				• 1
Initial tale the name of	of your amplayer				1
against the relevant	column)	1			- 1
a) Central Gove		1		*	
b) State Govern	ernment	1			1
c) Autonomous	Organization				
a) Government	Undertaking				- 1
e) Universities	1411116	1			.
f) Others					
12. Please state w	vhether you are				
working in the same	Denartmant	. 1			
are in the feeder grafeeder grade.	ade or feeder to			*	- 1
13. Are you in Revised	d Scale of Box 2 is	<u> </u>		•	1
1 163, give the date	from which at-	1			
revision took place and	also Indicate the	1			1
Pictorised 20916					1
14.Total emoluments pe	er month now drav	vn ·	 		
Basis Pay in the PB					T
. Dusis ray iii the PB		Grade F	Pay	Total Emoluments	-
				Total Enfolutionts	1
	1 .				
	1		I		1
15. In case the applican Pay-scales, the latest sale	t belongs to an O	rganisation	Which is		- 1
Pay-scales, the latest salenclosed.	lary slip issued by	y the Orga	disation showing	llowing the Central Govern	ment
Basic Pay with Scale of			Mercion Stiowing	the following details ma	ay be
Pay and rate of	Dearness Pay/in	iterim	Total Emolume	ents	
increment	relief /other Allo etc., (with break-	wances			
	details)	-up	1		1
1					1
16 A Additional is					
16.A Additional Informati	on, if any, releva	nt to the			
post you applied for in sup the post.	port of your suita	bility for			1
(This among other things ma	V provide to r	1			
regard to (i) additional ac	ademic austre	tion with	•		
	qualificat	ions (ii)	•	•	

professional training and (iii) work experience over and hove prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement)	
(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)	
16.B Achievements:	
The candidates are requested to indicate information	
with regard to;	•
(i) Research publications and reports and special	
projects	¥
(ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation	
(iii) Affiliation with the professional	,
bodies/institutions/societies and;	
(iv) Patents registered in own name or achieved for the	
organization	1
(v) Any research/innovative measure involving official	İ
recognition vi) any other information.	-
(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	
17. Please state whether you are applying for	
deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.#	
(Officers under Central/State Governments are only	
eligible for "Absorption". Candidates of non-	
Government Organizations are eligible only for Short	
Term Contract)	
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment'	•••
are available only if the vacancy circular specially	j
mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or	
"Re-employment").	1
18. Whether belongs to SC/ST	
-	
I have carefully gone through the vacancy circular/	advertisement and I am well aware that the
nformation furnished in the Curriculum Vitae duly support	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

	(Signature of the candidate)
	Address
ate	

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

- Also certified that;
- There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt.
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years <u>Or</u> A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Points to be noted by the Borrowing/ Parent Department/ Office to be highlighted in DOP&T circular for compliance by the Ministries/ Departments]

- 1. Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 3 years after the currency of punishment, if a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 5 years after the currency of punishment in terms of DOP&T O.M. No.11012/11/2007-Estt.(A) dated 14.12.2007.
- 2. While forwarding applications in respect of officers who are about to complete their 'cooling-off' period shortly the instructions of DOP&T as contained in O.M. No.2/1/2012-Estt.(Pay.II) dated 04.01.2013 may be strictly adhered to.
- 3. A copy of the Application format may be provided by the Borrowing Department in their website in a downloadable form as Word Document along with the advertisement.
- 4. In the case of a vacancy already existing at the time of issue of communication inviting nominations/ publication in the Employment News, the eligibility may be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations in the concerned administrative Ministry/Department. In the case of an anticipated vacancy, the crucial date for determining eligibility should be the date on which the vacancy is expected to arise.
- 5. It shall be prominently mentioned in the vacancy circular/ advertisement that the applications/CV not accompanied by supporting certificates/ documents in support of Qualification and Experience claimed by the candidates would not be processed for determining the eligibility of the candidates for the selection.
- 6. Crucial date for determining the eligibility of the applicants will be counted after excluding the first date of publication of the vacancy/ post in the Employment News. ie., For the vacancy published in the Employment News of 18-24 Jan. 2014, the crucial date will be counted from the 19th Jan. 2014 (excluding the first date of publication).
- 7. To facilitate determination of eligibility of the applicants working in Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations not following the Central Government Scales, their equivalent scales of pay/posts may be confirmed by the borrowing Department. Where necessary, details in this regard may also be ascertained from the lending Department.

संख्या ए-35021/02/2019-एन.टी.एच.

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग (राष्ट्रीय परीक्षण शाला प्रभाग)

> 12/2, जाम नगर हाऊस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली दिनांक १५^{९५} जनवरी, 2024

विषय: राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (₹67700-208700) में संयुक्त विधि से (अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति) तथा पदोन्नति के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद को भरा जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (₹67,700-2,08,700) में प्रशासनिक अधिकारी, एन. टी. एच. के पद को संयुक्त विधि से (अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति तथा पदोन्नति के आधार पर), के आधार पर निम्नलिखित में से भरे जाने का निर्णय लिया गया है:-

- केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों/ स्वायत्त निकायों/ सांविधिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अनुसंधान संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने-
 - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा
 - (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100 1, 77,500) में या समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा
- (ख) नीचे विनिर्दिष्ट की गई अर्हताएं और अनुभव धारित करता हो –
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री; और
- (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत अथवा सांविधिक निकाय में लेखा, प्रशासन और स्थापना कार्यों में पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो;

- ॥ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹56,100 1, 77,500) रूपय के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके विभागीय प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-1) पर भी वाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने की स्थिति में इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।
- III. प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग – वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- IV. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- V. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2016 से पहले अथवा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में संशोधित स्तर को लागू किए जाने की तारीख से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू वेतन मैट्रिक्स में तदनुरूपी स्तर में दी गई सेवा समझा जाएगा सिवाय उस स्थान के जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमानों को वेतन मैट्रिक्स में साझा स्तर के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और जहां यह लाभ केवल उन पद/पदों के लिए होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में वह स्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

तैनाती का स्थान कोलकाता है।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त योग्ताओं तथा अनुभव को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें इस पद पर उनका चयन हो जाने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट-।) में, 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टी (जिनका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो, जो अवर सचिव से कम के स्तर का न हो) सर्तकता निकासी, पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति नहीं संबंधी विवरण, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और संवर्ग निकासी (संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार) सिहत अवर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, 12/2, जाम नगर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011, हार्ड कॉपी में तथा ईमेल के माध्यम से (pk.tyagi13@nic.in), इस पत्र के जारी होने की तारीख से 60

दिनों (साठ दिनों) के अन्दर-अन्दर अग्रेषित कर दिए जाएं। उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेज़ों संलग्न न किए हुए अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. चयन हो जाने के उपरान्त आवेदकों को किसी भी आधार पर अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(पी.के.त्यागी) अवर सचिव, भारत सरकार ईमेल-pk.tyagi13@nic.in

प्रति:

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- 2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को व्यापक परिचालन के अनुरोध के साथ।
- 3. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सी पी ब्लॉक, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700009, को इस अनुरोध के साथ कि इसे एन.टी.एच. की वेबसाइट पर भी पोस्ट करें।
- 4. एन.आई.सी., उपभोक्ता मामले विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि व्यापक परिचालन के लिए इस रिक्ति परिपत्र को वेबसाइट http://consumeraffairs.nic.in पर अपलोड करें।

(पी.के.त्यागी) अवर सचिव, भारत सरकार

ईमेल-pk.tyagi13@nic.in

बायो-डाटा/जीवन वृत का प्रोफार्मा

					1
1. नाम और पता (बड़े अक्षरों			•		I)
में)		1			
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन में)		[** -			
3.i) सेवा में प्रवेश की तिथि					
ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के					
नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की					
तारीख					
4. शैक्षिक अर्हताएं					
5. क्या पद के लिए अपेक्षित					
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			Ser.		
संतोषजनक हैं। (यदि किसी					
अर्हता को नियमों में निर्धारित					
किसी अर्हता के समतुल्य समझा					
गया हो तो, उसके लिए					
प्राधिकारी का उल्लेख करें।)		0 0	- 0-	<u> </u>	
विज्ञापन/ रिक्ति परिपत्र में उल्लिखि	वत की	अधिकारी द्वारा	धाारत	1कए	गए
गई वांछित अर्हताएं/ अनुभव		अर्हताएं/ अनुभव			
अनिवार्य		अनिवार्य			
क) अर्हता		क) अर्हता			
ख) अनुभव		ख) अनुभव			
वांछित		वांछित			
(क) अर्हता		क) अर्हता			
(ख) अनुभव		ख) अनुभव			
5.1 नोट: रोजगार समाचार में	परिपत्र	के जारी होने व	ह समय	प्रशास	निक
मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमों	में उलि	लखित वांछित औ	र अनिवा	ये अहे	ताओ
को दर्शाने के लिए इस कॉलम को वि	स्तत वि	त्या जाना अपेक्षित	है।		
5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में, वैकल्पिक/अनिवार्य विषयों को				ा को	
अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित किया जाए	1				
6. कृपया आपके द्वारा की गई					
प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से य	ग्ह् बता	एं			
प्रावाध्या क सदम म स्पट रूप रा	16 4111	<u> </u>			

कि क्या आप पद की अनिवार्य अर्हताओं को पूरा करते हैं।

6.1 नोट: आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संगत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव(बायोडाटा में यथा उल्लिखित) विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट टिप्पिणियां/मत की पुष्टि करते हुए प्रदान किया जाना अपेक्षित है। 7. कालक्रम के अनुसार नियोजन के ब्यौरे। यदि नीचे जगह कम हो तो अपने विधिवत हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग कागज संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित	से	तक	*नियमित		आवेदित
	आधार पर			पर धारित	किए गए	पद के लिए
	धारित पद			पंद का	~ "	आवश्यक
·				बैंड/ग्रेड		अनुभव को
				वेतन/वेतन	मान	रेखांकित
				_		करते हुए
				1		ड्यूटियों की
	-					प्रकृति
	-	-				(विस्तृत)
					1	

*महत्वपूर्ण: ए.सी.पी. और एम.ए.सी.पी. के तहत अधिकारी को स्वीकृत किए गए पे-बैंड और ग्रेड वेतन वैयक्तिक होते है और इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित किए गए पद के पे-बैंड और ग्रेड वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां अभ्यर्थी द्वारा ऐसे वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में एसीपी/एमएसीपी का हितलाभ प्राप्त किया गया हो वहां ऐसे हितलाभ के ब्यौरो का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए;

कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के	से	तक
	तहत आहरित वेतन, बैंड और		
	ग्रेड वेतन		

8. वर्तमान नियोजन	की प्रकृति			· ·	
अर्थात् तदर्थ अथवा	अर्द्ध-स्थायी				
अथवा स्थायी					
9. यदि वर्तमान निय	ोजन				
प्रतिनियुक्ति/संविदाः	आधार पर है				
तो कृपया बताएं:-					
क) प्रारंभिक	ख) प्रतिनियुक्ति	ग) मूल	कार्यालय/	घ) वर्तमान	संगठन

नियुक्ति की तिथि	संविदा पर	संगठन	का	नाम	में व	ल्पित	क्षम	ता
	नियुक्ति की अवधि	जिससे		आप	में ध	ारित	पद	का
		संबंधित			नाम	तथा	पद	के
			-		लिए	वेतन		
9.1 नोट: अधिकारी के पहले से प्रतिनियुक्ति पर होने के								
मामले में, ऐसे अधिव	नारियों के आवेदनों व	ने मूल सं	वर्ग/वि	ोभाग				
द्वारा संवर्ग निकासी,	सतर्कता निकासी औ	र सत्यनि	ष्टा प्र	माण-				
पत्र के साथ अग्रेषित								
9.2 नोट: उपरोक्त व	नॅलम 9(ग) और (घ) के तहत	मांर्ग	ो गई				
सूचनाएं उन सभी	मामलों में दी जानी	चाहिए	जहाँ '	किसी				
व्यक्ति ने संवर्ग संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण								
किया है लेकिन वह अभी अपने मूल संवर्ग/ संगठन में								
धरणाधिकार बनाए ह								
	5) <							

गया हो तो विगत प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तिथि और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे:	
कृपया यह बताएं कि क्या निम्नलिखित के अधीन कार्यरत है:	
(संगत कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)	
क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार	

ग) स्वायत्त संगठन				
घ) सरकारी उपक्रम				
ड) विश्वविद्यालय				
च) अन्य				
12. कृपया यह बत	गएं कि क्या आप			
उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर				
ग्रेड या फीडर ग्रेड के फीडर में है।		-		
13. क्या आप संशो	धित वेतनमान में			
है? यदि हां तो उस	तिथि का उल्लेख			
करें जब, संशोधन	किया गया और			
संशोधन-पूर्व वेतनमान को भी बताएं।				
त्रतायन-रूप प्रतिनाम का ना प्रतिन्त				
14. वर्तमान में प्रति	माह आहरित की			
जा रही कुल परिलब्धि	धयां			
वेतन बैंड में मूल	ग्रेड वेतन			कुल परिलब्धियां
वेतन				
-131				
1				
45 20 20 20 20	ने संस्कृत से संबंधि	न के जो वे		गरकार की वेतनमान का
T			रण	दर्शाते हुए संगठन द्वारा
जारी आखिरी वेतन प	मची (सेलरी स्लिप)	l		
वेतनमान सहित	महंगाई/अंतरिम		कुल	परिलब्धियां
मूल वेतन और		आदि		
वृद्धि दर सहित				
प्राध्य ५८ सारुस	(3)(1) 3)(1) 341			
1 ,				

16. (क) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आपके द्वारा आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में संगत हो (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में सूचनाएं दी जाएं):	
(i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण; और (iii)विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त अनुभव। (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।	
16. (ख) उपलब्धियां: अभ्यर्थी निम्निलिखित से संबंधित सूचना प्रदान करें-	
(i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना;	
(ii) पुरस्कर/छात्रवृत्ति/शासकीय प्रशस्ति; (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/समितियों से सम्बद्धता;	
(iv) स्वयं के नाम में पंजीकृत पेटेंट अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेन्ट	
(v) शासकीय पहचान सहित कोई अनुसंधान/नवोन्मेषी उपाय	×
(vi) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी: यदि जगह अपर्याप्त हो तो पृथक कागज संलग्न करें)।	·
17. कृपया यह बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति	

(आईएसटीसी)/	,
समामेलन (एबजार्वशन)/पुर्ननियोजन आधार पर	
आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों के	
अधीन अधिकारी ही "एबजार्वशन" के लिए पात्र	
हैं। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल	
अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं।)	
# 'एसटीसी' /'एबजार्वशन'/ 'पुर्ननियोजन' का	
विकल्प उसी स्थिति में उपलब्ध है जब रिक्ति	
परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" अथवा	
'एबजार्वशन' अथवा 'पुर्ननियोजन' द्वारा भर्ती का	
उललेख किया गया हो।	,
18. क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित	
जनजाति से संबंध रखते हैं।	-

मैंने रिक्ति पत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से भलीभांति परिचित हूं कि चयन सिमिति द्वारा पद पर चयन के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/ कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित बायोडेटा में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/विवरण सही हैं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं और किसी महत्वपूर्ण विवरण जो मेरे चयन से संबंधित है, को दबाया या छिपाया नहीं गया है।

(अभ्यार्थी के हस्ताक्षर)

पता		
टिनांक		

आदाता/मूल विभाग/ कार्यालय द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु जिन्हें मंत्रालय/ विभाग के अनुपालनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा -

- 1. आमतौर पर यदि किसी अधिकारी पर छोटी शास्ति लगाई गई है तो दंड लगाए जाने के बाद से तीन वर्ष की अविध के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी। आमतौर पर किसी बड़ी शास्ति के अधिरोपित किए जाने के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के का.ज्ञा सं. 11012/11/2007 स्थापना (ए) के अनुसार, दंड अधिरोपित किए जाने के बाद से 5 वर्ष की अविध के लिए सतर्कता निकासी प्रदान नहीं की जाएगी।
- 2. जो अधिकारी शीघ्र ही अपनी कूलिंग ऑफ अवधि पूरा करने वाले हैं; उनके संबंध में आवेदनों को अग्रेषित करते समय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2012 स्था. (पे II) में निहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।
- 3. आदाता विभाग द्वारा विज्ञापन सिहत एक प्रति वर्ड डाक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड किए जा सकने वाले आवेदन पत्र में उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए।
- 4. यदि रोजगार समाचार में नामांकन/प्रकाशन को आमंत्रित करने की सूचना जारी करते समय रिक्ति पहले से मौजूद है तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामांकन की प्राप्ति के लिए विनिर्धारित अंतिम तिथि से पात्रता निर्धारित की जा सकती है। प्रत्याशित रिक्ति के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायक तिथि वह तिथि होनी चाहिए जिस तिथि को रिक्ति होने की संभावना है।
- 5. रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में इसका उल्लेख मुख्य रूप से किया जाएगा कि अभ्यार्थियों के द्वारा दावाकृत अर्हता और अनुभव के समर्थन में समर्थनकारी प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से रिहत आवेदन/ सीवी को चयन के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- 6. आवेदकों की पात्रता को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि की गणना रोजगार समाचार में रिक्ति/पद के प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर की जाएगी अर्थात 18 से 24 जनवरी 2014 के रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति के लिए निर्णायक तिथि की गणना 19 जनवरी 2014 (प्रकाशन की प्रथम तिथि को छोड़कर) से की जाएगी।
- 7. केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में कार्यरत आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उनके वेतन/पद के समतुल्य वेतनमान के संबंध में आदाता विभाग द्वारा प्रतिपृष्टि की जा सकती है। जहां भी आवश्यक हो, इस संबंध में ब्यौरों से संबंधित अभिनिश्चय प्रदाता विभाग से किया जा सकता है।

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं/ब्यौरे अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्य और सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता/रखती है। यदि चयन होता है तो उसे तत्काल कार्य-भार मुक्त किया जाएगा।

- 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;
- (i) श्री/श्रीमती...... के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला न ही लंबित है और न ही विचाराधीन है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
- (iii) इनके सीआर डोसियर की मूल प्रति संलग्न है। विगत 5 वर्ष के एसीआर की प्रतिलिपियां अवर सचिव, भारत सरकार के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर की टैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एवं संलग्न हैं।
- (iv) पिछले 10 वर्ष के दौरान इन पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है अथवा विगत 10 वर्ष के दौरान इन पर अधिरोपित की गई छोटी/बड़ी शास्तियों की सूची संलग्न हैं (जैसा भी मामला हो)।

(प्रतिहस्ताक्षरित)

(मोहर सहितसाथ नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी)